



210

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
विलिंग १२९३ - I - १६

विविध प्र०क०

-एक/2016 जिला - जबलपुर

रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम
निवासी ग्राम डुगरिया थाना बरगी,
जिला जबलपुर

आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर
श्री रवि अग्रवाल पिता श्री मोतीचंद अग्रवाल
निवासी सदर केन्ट तहसील
व जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत द्वारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
(इस न्यायालय द्वारा प्र०क० निग० 2374-एक/16 में पारित
आदेश दिनांक 21-7-16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त क्रमांक 3
में वृद्धि वावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 2374-एक/16 में दिनांक 21-7-16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है।
2. यहकि, आदेश की शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है।
3. यहकि, आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर विक्रयपत्र पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुआ किंतु उप पंजीयक द्वारा इस आधार पर विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं किया जा रहा है कि जिलाध्यक्ष द्वारा उन्हे यह निर्देश दिए

P.M.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्य मण्डल, मध्यप्रदेश, व्याख्यात

प्रकरण क्रमांक - विविध 9293-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पकाकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-16	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बर्मन्द चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित उभयपक्षों के तर्क सुने गये आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस व्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2374-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-7-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शार्ट क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि केता द्वारा बाजार मूल्य की दृष्टि की दुगनी दृष्टि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केता द्वारा दुगनी दृष्टि की व्यवस्था करने में समय लगने की बात कही जा रही है, उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और उक्त अवधि दिनांक 21-11-16 को समाप्त हो गई है आवेदक अधिवक्ता द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया विचारोपणात व्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस व्यायालय द्वारा प्र०प्र० 2374-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-7-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है दाखिल रिकार्ड हो </p> <p style="text-align: right;">B 21-12 S</p>	<p>संदर्भ</p>